झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग।

पत्र संख्या–वा0कर1/विविध/22/2010–3263(अनु0) राँची, दिनांक–10/12/11

प्रेषक,

श्रीमती नीलम गुप्ता
वाणिज्य–कर उपायुक्त,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

उपसचिव,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषयः– वाणिज्य–कर विभाग के निबंधित व्यवसायियों द्वारा **CST Profile** से संबंधित **प्रेस विज्ञप्ति** के प्रमुख प्रान्तीय समाचार पत्रों (अंग्रेजी एवं हिन्दी) में प्रकाशन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक **प्रेस विज्ञप्ति** (सी0डी0 के साथ) संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त **प्रेस विज्ञप्ति** को प्रमुख प्रान्तीय समाचार पत्रों (अंग्रेजी एवं हिन्दी) में प्रमुखता से लगातार पाँच दिनों तक प्रकाशन की कार्रवाई करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

अनु0–यथोक्त।

10/12/11

वाणिज्य–कर उपायुक्त,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

आवश्यक सूचना

वाणिज्य–कर विभाग द्वारा निकट भविष्य में **Online Issuance of Central Statutory Forms Scheme** प्रारंभ की जा रही है। उक्त सुविधा का लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन निबंधित व्यवसायीगण, पूर्व में **Manually** निर्गत प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराएँ।

उक्त कार्य हेतु व्यवसायियों को विभागीय वेबसाईट **www.jharkhandcomtax.nic.in** पर उपलब्ध **Online Return Filing** के **link** पर **click** करना होगा। उक्त Link पर जाने के उपरांत व्यवसायी को अपने **ID/PASSWORD** से **Login** करना होगा। तदोपरांत **CENTRAL FORM** के **menu** को **click** करने पर **"Update CST Profile"** का **sub-menu** सामने आएगा। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन निबंधित व्यवसायी उक्त Profile को पूरी तरह भर लें। साथ ही, विभाग द्वारा पूर्व में **Manually** निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र को **Scan** कर **upload** करना भी आवश्यक है। उक्त **Profile** को भरने हेतु एक **Manual** विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

अतः अनुरोध है कि **CST** के अधीन निबंधित सभी व्यवसायीगण 10 दिनों की अवधि में उपरोक्त प्रक्रिया पूरी कर लें। अतिरिक्त जानकारी हेतु विभागीय **HELP DESK** दूरभाष संख्या– **0651-2405185** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

वाणिज्य–कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।